मेरठ विकास प्राधिकरण

अक्रमेणानुपायेन कर्मारम्भो न सिध्यति

Stamp of integrity

613

पत्रांक :- MeDA/24-25/E/0968

दिनांक :- 02/10/2024

सेवा में,

मैसर्स आर0एस0 डवलपर्स
द्वारा श्री सूरज यादव
व श्री राजीव अग्रवाल आदि,
निवासी-ए-31 डिफैन्स कालोनी,
मवाना रोड, मेरठ।

विषय- **ग्राम मुरलीपुर गुलाब परगना तहसील व जिला मेरठ के खसरा संख्या 126 पार्ट, 335 पार्ट, 336, 337 पार्ट, 341 पार्ट, 342, 343, 344, 345, 347 पार्ट, 348 पार्ट तथा ग्राम शोभापुर के खसरा संख्या 46 पार्ट के कुल क्षेत्रफल 33,855.16 वर्ग मीटर पर संशोधित आवासीय शमन तलपट मानचित्र के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया ग्राम मुरलीपुर गुलाब परगना तहसील व जिला मेरठ के खसरा संख्या 126 पार्ट, 335 पार्ट, 336, 337 पार्ट, 341 पार्ट, 342, 343, 344, 345, 347 पार्ट, 348 पार्ट तथा ग्राम शोभापुर के खसरा संख्या 46 पार्ट के कुल क्षेत्रफल 33,855.16 वर्ग मी0 पर प्रस्तुत संषोधित आवासीय शमन तलपट मानचित्र के क्रम में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निम्न शर्तो/औपचारिकताओ को पूर्ण किये जाने की शर्त के साथ प्रश्नगत स्थल पर शमन तलपट मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की गई हैः-

1. प्रस्तुत शमन मानचित्र में विकास शुल्क रू0-3,39,07,335.00, शैल्टर फीस रू0-44,52,840.00, लेबर सेस रू0-3,03,919.00, भावी ग्रामीण विकास शुल्क रू0-11,92,868.00, शमन शुल्क रू0-16,60,040.00, मानचित्र शुल्क रू0-30,000.00 कुल धनराशि रू0-4,15,47,002.00 आंकलित है। आप द्वारा पूर्व में रू0-3,71,33,853.00 प्राधिकरण कोष में जमा है एवं अवशेष कुल धनराशि रू0-44,13,149.00 मानचित्र निर्गत से पूर्व प्राधिकरण कोष में जमा कराने होगे।
2. सम्बन्धित विभागों से प्राप्त अनापत्तियों का अनुपालन करना होगा। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. भू-स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो प्राधिकरण द्वारा की गयी शमन की कार्यवाही निरस्त समझी जाएगी। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. आन्तरिक विकास कार्यो के सापेक्ष 3206.19 वर्ग मी0 भूमि के भूखण्ड प्राधिकरण में बंधक रखने होंगे। आप द्वारा पूर्व में आन्तरिक विकास कार्यो के सापेक्ष 3290.66 वर्ग मी0 भूमि की मोर्टगेज डीड व आन्तरिक विकास कार्यो के सापेक्ष अनुबन्ध निष्पादित कर प्राधिकरण में प्रस्तुत किये गये है।
5. कालोनी के आन्तरिक विकास कार्यो को तीन वर्ष में पूर्ण कराने हेतु प्राधिकरण के साथ अनुबन्ध निष्पादित करना होगा तथा आन्तरिक विकास कार्यो के पूर्ण होने पर प्राधिकरण से नियमानुसार पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
6. कालोनी के समस्त विकास कार्य पूर्ण होने पर कालोनी को नगर निगम को हस्तान्तरित कर प्राधिकरण को सूचित करना होगा। कालोनी के नगर निगम को हस्तान्तरित होने तक आन्तरिक विकास कार्यो का रख-रखाव स्वयं आपको करना होगा। इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. कॉलोनाईजर को आन्तरिक विद्युत कार्य यू.पी.पी.सी.एल. के मानकों के अनुरूप करना होगा व वांछित क्षमता का प्रवर्तक लगाने हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध करानी होगी। इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. भविष्य में प्रश्नगत स्थल के समीप ट्रंक सीवर लाईन डाले जाने की स्थिति में भू-स्वामी को आन्तरिक सीवर को ट्रंक सीवर से अपने खर्चे पर मिलाना होगा तथा इसके रख-रखाव की जिम्मेदारी आपकी होगी। इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9. ओवर हैडटैंक व एस.टी.पी. का निर्माण विशिष्टियों के अनुरूप करना होगा, इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10. तलपट मानचित्र में दर्शित सडकों के किनारे वृक्षारोपण शासनादेश के अनुसार करना होगा, इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करने विषयक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा जमानत धनराशि रू. 2,00,000/- की एफ.डी.आर. प्राधिकरण के पक्ष में पूर्व में बन्धक रखी गयी है।

12. कालोनी में अग्नि सुरक्षा हेतु सयंत्र लगाने होगे, इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

13. सर्विसेज प्लान के अनुसार स्थल पर विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं को मानको के अनुरूप विकसित करना होगा। इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

14. किसी भी सरकारी भूमि व सम्पत्ति का उपयोग आप द्वारा नही किया जाएगा एवं इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

15. भविष्य में यदि कोई देयता आती है तो आपको उसे तत्काल प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा एवं इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

16. कृष्णा वर्ल्ड आवासीय कालोनी व नवीन स्वीकृत वेदा सिटी कालोनी के आवासीय स्वीकृत तलपट मानचित्र संख्या MDA/LD/23-24/1122 के दो तिहाई आवंटियों से पहुॅच मार्ग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र मानचित्र निर्गत से पूर्व प्रस्तुत करने होंगे।

17. मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली में ओ.ए. संख्या-21/2014 में अलग-अलग तिथियों में पारित आदेशों के अनुपालन के क्रम में मुख्य सचिव कार्यालय उ0प्र0 शासन के पत्रांक-1760/पी0एस0एम0एस0/2016 दिनांक 18.11.2016 तथा विशेष सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्रांक संख्या-3596/नौ-5-206-29 रिट/2014 दिनांक 08.11.2016 से जारी निर्देशों का अनुपालन करना होगा।

अतः उपरोक्त शर्तो/प्रतिबन्धों को पूर्ण करना एवं विभिन्न मदो में आरोपित शुल्क प्राधिकरण कोष में पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें।

Vijay Kumar Singh
मुख्य नगर नियोजक
Digitally Signed
02/10/2024 01:05 PM